Refund Order Cheques

51. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nationalised banks are following a collecting procedure whereby third party refund orders or cheques presented by a credit society on behalf of its members are cleared and credited to the account of the credit society;

(b) if so, whether such a procedure is detrimental to the interests of the actual beneficiaries of the refund order cheques; and

(c) what is the legal position in this regard under the Negotiable Instruments Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that no such procedure is generally followed by the commercial banks whereby third party refund orders/ cheques are cleared and credited to the account of the credit society. However, certain instances of some banks collecting instruments presented by credit societies have come to the notice of the RBI.

(b) Yes, Sir.

(c) RBI have reported that if a bank credits the accounts of a constituent who is not the payee named in the cheque, without proper mandate of the drawer, it does so at its own risk and will be responsible for the unauthorised payment.

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुए घाटे

52. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले चार वर्षों के दौरान, घाटा उठा रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाओं को जनसेवा के नाम पर दान स्वरूप धन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों को हुए घाटे के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ङ) इनमें से प्रत्येक बैंक की फिजूल खर्ची का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक बैंक को हुए घाटे के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को, पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ का वार्षिक समग्र अधिकतम सीमा का 2% राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त/प्रायोजित राष्ट्रीय और अन्य निधियों में दान देने के साथ-साथ सामान्य दान करने की अनुमति दी गई है। मार्च 1993 को समाप्त पिछले 4 वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे बैंकों को कोई दान करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अलबत्ता, सितम्बर, 1993 में एक विशेष मामले के रूप में घाटे में चल रहे बैंकों को, प्रत्येक को 3 लाख रुपए तक का "सामान्य" दान करने की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात, अक्तूबर, 1993 में, इन बैंकों को यह भी अनुमति दी गई कि यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रीय निधि या भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों को 3 लाख रुपए के ऊपर एक उपयुक्त राशि दान कर सकते हैं।

राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) बैंकों को हो रही हानियों के मुख्य कारण ये हैं कि ऐसे निष्क्रिय ऋणों की संख्या बहुत अधिक है जिनसे बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अधिकांश भाग पर वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर में प्रति-सहायता से भी बैंकों की आय पर प्रभाव पड़ता है। उन बैंकों के मामलों

में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है जिन बैंकों के विदेशी परिचालन है क्योंकि विदेशी परिसंपत्तियों का अधिकांश भाग भी निष्क्रिय हो रहा है। कानूनी प्रणाली के माध्यम से कारगर वसूली में विलम्ब के कारण भी बैंकों को हानियां उठानी पड़ती हैं।

बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से आर बी आई ने कई कदम उठाये हैं। बैंकों से कहा गया है कि कई मुख्य क्षेत्रों में सुधार लाने के लिये वे कार्य योजना तैयार करें। इनमें से कुछ ये हैं:—

1. संगठनात्मक ढांचे में सुधार।

2. चयनात्मक क्षेत्रों में मशीनरीकरण और कर्मचारियों को सीमित रखने सहित उत्पादकता के स्तरों में सुधार करना।

3. मानव संसाधन विकास।

4. हाऊस कीपिंग और आंतरिक नियंत्रण में सुधार।

5. ऋण मूल्यांकन मानीटरिंग में सुधार और ऋण प्रशासन में सामान्य रूप से सुधार।

6. कारगर वसूली उपाय।

7. सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाना और चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना।

8. लाभ योजना और लाभ के स्तरों में सुधार।

जहां तक फिजूल खर्च का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे पी ओ एल, फर्नीचर, मनोरंजन, यात्रा भत्ते आदि पर कम खर्च करें।

(च) और (छ) बैंककारी विनियमन अधिनियम की शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन भी करता है।

53. *[Transferrea to 3rd March, 1994.]*

54. *[Transferred to 3rd March, 1994.]*

Investigations into Misuse of Plastic and Chemical Material

55. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the central revenue intelligence and enforcement officers have investigated into misuse of the value-based advance licencing scheme to import duty free plastic and chemical materials and their sale in the domestic markets out at high premium;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the steps taken to prevent such fictitious exports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) A few such cases were investigated by Directorate of Revenue Intelligence. A list of the said cases is enclosed at Statement (*See* bleow).

(c) Government is aware of fictitous exports, under value based advance licencing scheme and steps are being taken to curb this menace. The steps include strengthening of intelligence wing of the enforcement agencies.

Statement

The cases Detected by DRI Involving Misuse of Value Based Advance Licencing Scheme to Import Duty Free Plastics and Chemicals

Bombay Zonal Unit

I. M/s Dimple Overseas has exported 60 MTs of Polyethylene Newar/ Straps at a declared value of US $ 30 lakhs equivalent to Rs. 8,59,72,200/- as against actual value of goods of Rs. 45,08,625/-

II. M/s Manish Corporation, holder of value based advance licence had imported 38.9 MT of Nylon moulding powder valued at Rs. 27,10,950/- and diverted the same in open market. Out of it, 9.625 MT